न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 88/2022 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 12.04.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/88

श्री कालू पिता देवा गाडोलिया जाति गाडिया लौहार, आयु 52 वर्ष, निवासी सांखली, पंचायत समिति राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–श्री बजरंगदास पिता मोहनदास वैष्णव जाति बैरागी, आयु वयस्क, निवासी सांखली, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत सांखली, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत सांखली, पंचायत समिति, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 004072 दिनांक 15.09.1994 ग्राम पंचायत सांखली पंचायत समिति राशमी

उपस्थिति : 1–श्री सुनिल बोहरा, अधिवक्ता निगराकार
2–श्री कैलाश चन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता गैर निगराकार सं. 1

प्रकरण संख्या 88/2022 (नि.पं.)
श्री कालु पिता देवा गाडोलिया निवासी सांखली बनाम श्री बजरंगदास पिता मोहनदास वैष्णव निवासी सांखली वगैरा

निर्णय

दिनांक 16.11.2022

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 के नाम 30 बाई 45 कुलिया क्षेत्रफल 1350/- वर्गफीट का पट्टा जारी किया है उक्त पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच पड़ताल किये ही जारी कर दिया जो अवैधाानिक होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अनदेखी कर उक्त पट्टा जारी किया है जिस भूमि का अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है उस पर मुझ निगराकार का कब्जा होकर मकान बना निवास कर रहा है। विपक्षी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सांखली द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 004072 दिनांक 15.09.1994 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत सांखली ने अपने पत्रांक/एसपीएल/2022/3 दिनांक 20.09.2022 से उक्त पट्टे से संबंधित कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र वैष्णव ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। गैर निगराकार संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। जवाब प्रस्तुत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सांखली ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में निगरानी में वर्णित पड़ौसों के मध्य जो पट्टा जारी किया है जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है क्योंकि जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वो निगराकार के कब्जे की भूमि होकर निगराकार उस पर करीब 25-30 वर्षों से भी अधिक समय से मकान बनाकर निवास कर रहा है तथा उसका उपयोग-उपभोग कर रहा है। गैर निगराकार संख्या 2 ने नियमों की अवहेलना कर गैर निगराकार संख्या 1 से मिलीभगत कर मात्र कागजी खानापूर्ति करते हुए कार्यालय में बैठे-बैठे ही बिना जांच पड़ताल के उक्त पट्टा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी कर दिया है जो निरस्त योग्य है। निगराकार गाडिया लौहार समाज का होकर उसके पास इस मकान के अलावा अन्य कोई भूमि अथवा मकान नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत सांखली द्वारा गैर

निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 004072 दिनांक 15.09.1994 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने में किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं की गई है। जिन वर्णित पड़ौसों के मध्य का पट्टा जारी किया है उस पर निगराकार का कब्जा होकर निगराकार मकान बनाकर निवास कर रहा है यह तथ्य स्वीकार है। यदि गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त किया जाकर निगराकार के पक्ष में पट्टा जारी करने हेतु गैर निगराकार संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है तो मुझ गैर निगराकार संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सांखली से पट्टे से संबंधित पत्रावली/अभिलेख तलब करने पर ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे से संबंधित मिसल/अभिलेख ग्राम पंचायत के रेकार्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया है।

ग्राम पंचायत सांखली द्वारा जो विवादित भूमि का पट्टा जारी किया है उस पर निगराकार ने अपना मकान निर्मित होकर विगत 25-30 वर्षों से उसका कब्जा होने का कथन किया है साथ ही गैर निगराकार संख्या 1 ने भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया है कि जिस भूमि का पट्टा उसके नाम जारी किया है उस पर गैर निगराकार संख्या 1 का कब्जा नहीं होकर निगराकार का मकान बना हो निगराकार का ही कब्जा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया अधीनस्थ ग्राम पंचायत सांखली द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में पूर्ण जांच नहीं कर मात्र कागजी खानापूर्ति करते हुए पट्टा जारी किया जाना प्रतिवेदित होता है। निष्कर्षतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत सांखली द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी विवादित पट्टा संख्या 004072 दिनांक 15.09.1994 निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official